संख्या-172/2025/1671/सैंतीस-2-2025/001-1(2)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 अक्टूबर, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-284/प.-2/17(14)/जो.प्र./2025-26, दिनांक-06.10.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक-14.05.2025 द्वारा सामान्य मद में अवमुक्त मदर सैंक्शन के सापेक्ष एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से व्यय किये जाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में खोले गए स्टेट लिंक्ड स्कीम के कोड SLS-UP 295 के अन्तर्गत व्यय न हो पाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0118-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.100/रा.00-के.) के अन्तर्गत कुल रू0-75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-131/2025/1182/सैंतीस-2-2025/001-1(2)/2024, दिनांक-22 जुलाई, 2025 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- यह आदेश प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

पृ0सं0-172/2025/1671(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(2)/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।